समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)
आदेश।

माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार के पत्रांक 359 (का0) दिनांक 04.04.. 2016 के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों की निरंतर भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता तथा खाद्यान्न के लिकेज को रोकने हेतु प्रत्येक तीन माह में मधेपुरा जिलान्तर्गत कार्यरत राज्य खाद्य निगम के पॉच गोदामों यथा-मधेपुरा/ मुरलीगंज/ बिहारीगंज/ उदाकिशुनगंज/आलमनगर का भौतिक सत्यापन करने के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती हैः-

क्र0	प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी का पदनाम	सम्बद्ध पदाधिकारी का पदनाम	राज्य खाद्य निगम के गोदाम का स्थान
1	2	4	.
1	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रखंड मधेपुरा
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज	प्रखंड मुरलीगंज
3	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	प्रखंड आपूर्ति पदाध्किारी, बिहारीगंज	प्रखंड बिहारीगंज
4	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आलमनगर	प्रखंड आलमनगर
5	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	प्रखंड उदाकिशुनगंज

2. प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे सम्बद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से अपने नाम के सामने आवंटित प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम का वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तीन माह पर प्रभावी ढ्ंग से भौतिक सत्यापन करना सुनिश्ति करेगें तथा विहित प्रपत्र में संयुक्त हस्ताक्षर से प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, ताकि समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा सकें।

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

ह0 :-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 486 /आ0 मधेपुरा, दिनांक 23.06.2016

प्रतिलिपिः- प्रतिनियुक्त सम्बद्ध पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितो को ई-मेल करने हेतु प्रेषित

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
23/6/16